न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 09/2018

अपीलांट्स– *बनाम* **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट्स:

1. अन्नाराम पुत्र सागराराम
2. रड़माराम पुत्र सकाराम
3. नीम्बाराम पुत्र सकाराम
4. रामूदेवी पत्नी सकाराम

जाति मेघवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर

रेस्पोडेंट्स:

1. गुमनाराम पुत्र सागराराम
2. किशनाराम पुत्र राणाराम
3. मगाराम पुत्र राणाराम
4. दलाराम पुत्र राणाराम
5. उकीदेवी पत्नी राणाराम
   जाति मेघवाल निवासी गादेसरा तहसील सिणधरी जिला बाड़मेर
6. तहसीलदार सिणधरी

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 03.10.2017 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार सिणधरी द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री दलाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से उपस्थित।
2. श्री डूंगरसिंह महेचा, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 से 5 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेंट सं. 6 प्रफॉर्मा पक्षकार।

निर्णय

दिनांक : 24.01.2022

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार सिणधरी के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 03.10.17 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा गादेसरा के खेत खसरा नम्बर 39, 67/1 व 118 रकबा क्रमशः 76–00, 06–03, 34–11 बीघा कुल 116–14 बीघा भूमि के खातेदान गुमनाराम, अन्नाराम पि0 सागराराम, रड़माराम नींबाराम पि0 सकाराम रामूदेवी पत्नी सकाराम किशनाराम मगाराम दलाराम पि0 राणाराम उकी देवी पत्नी राणाराम कौम

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

मेगवाल सा0 देह ने दिनांक 03.10.2017 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी हल्का सिणधरी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एव नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2017 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 25.01.2018 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट सं. 1से5 ने आपसी सहमति से संयुक्त खातेदारी भूमि का विभाजन करने हेतु सहमत होकर हल्का पटवारी से विभाजन प्रस्ताव तैयार कराया। रे[illegible] को प्रभावित कर इस विभाजन हेतु तैयार पूर्व [illegible]ट व रेस्पोडेंट की सहमति द्वारा तैयार एवं [illegible] निशान पर अपने हिसाब से नक्शा तैयार कर तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। अपीलांट्स ने अपने भाईयों पर विश्वास कर हस्ताक्षर अंकित किये थे किन्तु रेस्पोडेंट्स ने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपनी मनमर्जी से अपीलांट्स के साथ धोखा कर नुकसान पहुंचाने के आशय से सहमति विभाजन करवा दिया। अपीलांट को रेस्पोडेंट्स की उक्त चालाकी का ज्ञान नहीं था तथा न ही राजस्व रेकर्ड को देखने की आवश्यकता हुई। अर्सा 20 दिन पूर्व अपीलांट को अपने कब्जे की भूमि से रेस्पोडेंट्स ने बेदखल करने की धमकी दी, इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय दिनांक 04.01.2018 को सहमति विभाजन की नकले प्राप्त की तब पता चहा कि हल्का पटवारी की मिलावट से रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के साथ धोखाधड़ी द्वारा विभाजन करवा लिया हैं। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं।

5. रेस्पोडेंट्स सं. 1से5 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा जवाब में निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर हैं तथा मेरीट पर निर्णय से पूर्व मयाद के बिन्दु पर विचार किया जावें। इसके साथ ही यह भी प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहमति से हुए विभाजन के संबंध में अपील करने का कोई प्रावधान अंकित नहीं हैं ऐसी दशा में उक्त अपील विचारण योग्य नही हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1से5 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त एवं हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु विभाजन इकरारनामा मय विभाजन नक्शा तैयार करवाकर तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार सिणधरी द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्णतया विधिनुसार इकरारनामा स्वीकृत किया गया हैं जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा निराधार एवं कपोल–कल्पित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट ने अपने प्रार्थना–पत्र धारा 5 मयाद अधिनियम में विलम्ब अवधि का कोई संतोषजनक कारण प्रकट नहीं किया हैं जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी स्वंय की उपस्थिति में पारित किया गया हैं। मयाद अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सद्भाविक विलम्ब को माफ करने

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हेतु आवेदन पत्र में विलम्ब के समुचित कारणों को दर्शित किया जाना आवश्यक हैं किन्तु हस्तगत अपील में करीबन 4 माह के विलम्ब के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण का उल्लेख प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट की अपील पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

6. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा गादेसरा के खेत खसरा नम्बर 39, 67 / 1 व 118 रकबा क्रमशः 76–00, 06–03, 34–11 बीघा कुल 116–14 बीघा भूमि के खातेदारान गुमनाराम, अनाराम पि0 सागराराम, रड़माराम नींबाराम पि0 सकाराम रामूदेवी पत्नी सकाराम किशनाराम मगाराम दलाराम पि0 राणाराम उकी देवी पत्नी राणाराम कौम मेगवाल सा0 देह ने दिनांक 03.10.2017 को तहसीलदार सिणधरी के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान पटवारी हल्का सिणधरी द्वारा की गई तथा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि चौसाला जमाबन्दी एव नक्शा में दर्शाये अनुसार विभाजन प्रस्ताव सही है, मौके पर खातेदारान विभाजन प्रस्ताव के अनुसार काबिज है। किसी भी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन नहीं हैं। इस पर तहसीलदार सिणधरी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.10.2017 पारित किया गया।

7. अपीलांट द्वारा उक्त विभाजन करने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। रेस्पोडेंट्स सं. 1 से 5 ने इसका विरोध करते हुए अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के आधार पर यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज किये जाने का निवेदन किया हैं। अधीनस्थ

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी के समक्ष अपीलांट्स एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर सहमति से स्वंय अंगुठा/हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये आवेदन किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को बंटवाड़े की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता हैं। अतः अपीलांट्स का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। विभाजन नक्शा में प्रत्येक खातेदार को उसके कब्जे अनुसार भूमि का हिस्सा प्रदान करते हुए सहमति हेतु हस्ताक्षर/अंगुष्ठ निशान अंकित कराये गये हैं। हस्तगत प्रकरण में पक्षकारान ने अधिनस्थ तहसीलदार सिणधरी के समक्ष धारा 53(2)(i) के तहत सहमति इकरारनामा प्रस्तुत कर अपनी खातेदारी का विभाजन स्वीकार किया हैं तथा तहसीलदार सिणधरी द्वारा इस इकरारनामा को पक्षकारान की उपस्थिति में उनकी स्वतंत्र सहमति से अपीलाधीन आदेश के द्वारा तस्दीक किया गया हैं। अपीलांट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 4 माह बाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया हैं। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य हैं।

8. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

9. निर्णय आज दिनांक 24.01.2022 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2022.04.20 18:03:57 IST
Reason: SelfAttested

(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर